

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सहित सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बन्ध रखता है तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971, यथा समय-समय पर संशोधित धारा 19-क के अधीन बिहार सरकार के समक्ष प्रस्तुति हेतु तैयार किया गया है।

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है।

3. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, जो सांविधिक निगम हैं, के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है। राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुरूप बिहार राज्य वित्तीय निगम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदित सूची में से सन्दी लेखाकारों को नियुक्त कर लेखापरीक्षा कराने के अतिरिक्त नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। बिहार राज्य भंडार निगम के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उनकी सहमति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सन्दी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त उनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के एकमात्र लेखापरीक्षक है। इन निगमों के वार्षिक लेखाओं का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग से राज्य सरकार को भेजे जाते हैं।

4. इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लेखित हैं, जो वर्ष 2011-12 के दौरान लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आये, साथ-साथ वे जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आए किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके। 2011-12 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले भी जहाँ आवश्यक समझे गये, सम्मिलित कर लिए गये हैं।

5. इस प्रतिवेदन में सन्निहित सामग्रियों के मामले में लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप संचालित की गई हैं।